संख्या–335 /xxxi(13)G/2011

प्रेषक

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
4.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांकः 13 मई, 2011

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ भद्रता का व्यवहार।

महोदय,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कतिपय लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अपने पद तथा उनकों प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सूचना आवेदनकर्ताओं को उत्पीड़ित कर हतोत्साहित करने का प्रयास किये जाने की सूचना आयोग द्वारा शासन के संज्ञान में लायी गयी है।

2. उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करना सूचना आवेदनकर्ताओं का अधिकार है। सूचना आवेदनकर्ताओं को उत्पीड़ित कर हतोत्साहित करने का प्रयास सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध है। किसी लोक प्राधिकरण और उसके लोक सूचना अधिकारियों का उत्तरदायित्व मांगी गयी सूचना प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। उनसे यह भी अपेक्षित है की वे सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करें। किसी व्यक्ति को सूचना या सहायता प्रदान करते समय उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाना चाहिए।

3. अधिनियम के प्राविधानों तथा भावना के अनुरूप प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने वाले सूचना आवेदनकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए सूचना अनुरोध कर्त्ताओं से सद्व्यवहार कर तत्परता से सूचना उपलब्ध करायें।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अपने पद तथा उनकों प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सूचना आवेदनकर्ताओं को उत्पीड़ित कर हतोत्साहित किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाय, तथा यथावश्यकता कार्यवाही की संस्तुति शासन को की जाय।

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 सा0प्र0/495–15–3–2013–1500 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।